राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 234/2012/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
रायसिंहनगर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जैन बाथ गैलरी,
पदमपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक।
श्री वी.के.पारीक एवं श्री श्याम पारीक, ...प्रत्यर्थी की ओर से
अभिभाषकगण।

निर्णय दिनांक : 06/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 145/आरवैट/रायसिंहनगर/10–11 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायसिंहनगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 19,373/–, शास्ति राशि रूपये 38,746/– एवं ब्याज राशि रूपये 582/– कुल मांग राशि रूपये 58,701/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, पदमपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 18.02.2010 को किया जाकर, अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल यथा सैनेट्री सामान का मूल्यांकन कर सूची बनाई जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को लेखा–पुस्तकों से स्टॉक में मिले सामान से मिलान करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर सामान का मूल्यांकन करवाये जाने पर राशि रूपये 1,38,378/– का कर योग्य माल लेखा–पुस्तकों में दर्शाये गये स्टॉक से कम पाया गया। इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कम पाये गये स्टॉक को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर कुल मांग राशि रूपये 58,701/– का आरोपण कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2011 के द्वारा स्वीकार कर आरोपित मांग राशि को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण लिया गया भौतिक स्टॉक राशि रूपये 6,08,272/– का था, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लेखा–पुस्तकों का ट्रेडिंग अकाउंट पेश किया गया, जिसके अनुसार माल राशि रूपये 7,46,650/– का था। साथ ही जब प्रत्यर्थी व्यवहारी को क़ारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो उनके द्वारा जवाब के साथ लेखा–पुस्तकें भी पेश नहीं की गई थी, जो कि आवश्यक थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 14 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत का स्टॉक पृथक ट्रेडिंग अकाउंट से दर्शाने में असमर्थता जाहिर की थी, इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब के आधार पर पारित किया गया आदेश पूर्णतः विधिक होने से बहाल (Restore) किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर 4 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत दोनों प्रकार की दर से कर योग्य माल मौजूद था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र 14 प्रतिशत कर योग्य माल को कम मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। साथ ही जांच अधिकारी द्वारा स्टॉक माल का भौतिक सत्यापन भी दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नहीं करवाया गया, क्योंकि प्रथम गवाह श्री कुलदीपसिंह, जो कि प्रत्यर्थी फर्म के मुनीम है एवं माननीय कर बोर्ड ने अपने निर्णय सीटीओ बनाम मैसर्स विकास ट्रेडर्स अपील संख्या 857/2004 निर्णय दिनांक 21.10.2010 के द्वारा मुनीम को स्वतंत्र गवाह नहीं माना है। द्वितीय गवाह श्री गोविन्दराम के हस्ताक्षर मौजूद है, उसके पिता का नाम व पता मौजूद नहीं है। अतः भौतिक सत्यापन की कार्यवाही को दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पारित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षो की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त भौतिक जांच माल (स्टॉक) का मूल्य राशि रूपये 6,08,272/– का पाया गया, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लेखा–पुस्तकों के आधार पर ट्रैडिंग अकाउंट पेश किया गया जिसके अनुसार माल का मूल्य राशि रूपये 7,46,650/– का पाया गया, इस प्रकार राशि रूपये 1,38,378/– का माल कम पाया गया। हस्तगत प्रकरण में विवाद का मूल बिन्दु यह है कि भौतिक सत्यापन एवं ट्रैडिंग अकाउंट में पाये गये माल किस दर से कर योग्य था? कर निर्धारण अधिकारी ने कम पाये गये माल का सत्यापन करवाने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को लेखा–पुस्तकें पेश करने हेतु निर्देशित किया था, परन्तु उनके द्वारा लेखा–पुस्तकों की जगह ट्रेडिंग अकाउंट पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेशिका दिनांक 24.02.2010 में अंकित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 14 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत योग्य माल के वर्गीकरण हेतु समय चाहा गया है, एवं दिनांक 03.03.2010 तक का समय प्रदान किया गया था, परन्तु इसके पश्चात् भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 14 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत का पृथक–पृथक ट्रेडिंग अकाउंट तथा लेखा–पुस्तकें पेश करने में भी असमर्थता व्यक्त की।

लगातार.....3

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा–पुस्तकें पेश नहीं करने के अभाव में भौतिक सत्यापन एवं ट्रैडिंग अकाउंट के अनुसार कम पाये गये सम्पूर्ण सामान को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कम पाये गये माल को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर कर का आरोपण कर दिया, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा राशि रूपये 1,38,378/– के कम पाये गये सामान पर लगाये गये सम्पूर्ण कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण को समाप्त किया जाना भी विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार बिना सम्पूर्ण जांच कार्यवाही के कि कम पाये गये माल में कौनसा माल 4 प्रतिशत अथवा 14 प्रतिशत से कर योग्य है, कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण उचित नहीं कहा जा सकता है।

8. अतः न्यायहित में प्रकरण कर निर्धारित अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि, वह कम पाये गये माल कि जांच करे कि कौनसा माल 4 प्रतिशत से कर योग्य है एवं कौनसा 14 प्रतिशत से कर योग्य है, तत्पश्चात् विधिनुकूल समुचित कर निर्धारण आदेश पारित करे। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी आदेश दिया जाता है, कि वह निश्चित समय पर कम पाये गये माल की कर दर का वर्गीकरण करके लेखा–पुस्तकों के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कर निर्धारण करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

9. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य